न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **94/18 (वाद)**

GCMS No. : 2018/00260

1. श्री वाला पिता केवल उर्फ केवा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्री माना पिता केवल उर्फ केवा डांगी निासी घासा तह. मावली।
3. श्री भेरूलाल उर्फ भरत पिता दोला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
4. श्रीमती हीराबाई बेवा दोला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
5. श्रीमती लीला पिता दोला पत्नी वरदीचन्द डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
6. श्री वरदीचन्द पिता दूदा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
7. श्रीमती तुलसीबाई बेवा दूदा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
8. श्रीमती मांगीबाई पिता दूदा पत्नी किशन डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री सवा पिता टोडा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.02.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762 कुल किता 9 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा।
2. यह कि वादीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

केवल उर्फ केवा पिता पदमा

दूदा | वाला | माना | दोला

वरदीचन्द | तुलसी (बेवा) | मांगी | भेरूलाल उ. भरत | हीराबाई(बेवा) | लीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे में बताये गये केवल उर्फ केवा, दूदा, दोला की मृत्यु हो गयी है। दूदा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 3 से 5 है तथा दोला के वारिस प्रतिवादी नम्बर 6 से 8 हैं।

3. यह कि इसी तरह प्रतिवादी के खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैं :–

टोडा पिता पदा

सवा | देवा

उक्त सजरे में बताये गये टोडा देवा की मृत्यु हो गयी है देवा के कोई लडका, लडकी व पत्नी नहीं है। देवा का वारिस भी सवा हैं जो प्रतिवादी नम्बर 1 हैं।

4. यह कि उक्त आराजीयात का खातेदार केवल उर्फ केवा पिता पदा व टोडा पिता पदा के खातेदारी आधिपत्य की होकर केवल उर्फ केवा का 1/2 हिस्सा व टोडा पिता पदा का 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये लेकिन राजस्व रेकार्ड में बडा भाई टोडा पिता पदा होने से टोडा पिता पदा के नाम दर्ज हो गयी है व टोडा पिता पदा की मृत्यु बाद टोडा के वारिसान सवा देवा पिता टोडा के नाम दर्ज हो गयी है। देवा की मृत्यु लाऔलाद हो गयी है जिसका वारिस सवा प्रतिवादी नम्बर 1 अकेला हैं।

5. यह कि उक्त आराजीयात की सवा पिता टोडा जी डांगी ने उक्त आराजीयात का अपना 1/4 हिस्सा तारीख 10.02.1975 को श्री डालचन्द पिता हीरालाल जी चण्डालिया महाजन निवासी घासा को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया व बिकावनामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी तब से 1/4 हिस्से पर डालचन्द पिता हीरालाल जी चण्डालिया काबिज चला आया व डालचन्द पिता हीरालाल जी चण्डालिया ने उक्त आराजीयात का खरीदशुदा 1/4 हिस्से की भूमि को तारीख 12.05.1976 को केवल उर्फ केवा पिता पदा जी डांगी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया व बिकावनामा निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी तबसे केवल उर्फ केवा काबिज चला आया हैं।

6. यह कि उक्त आराजीयात में केवल उर्फ केवा पिता पदा का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा पूर्व से है लेकिन वह केवल उर्फ केवा के खाते नहीं होने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

टोडा पिता पदा के नाम दर्ज होने से टोडा की मृत्यु बाद टोडा के वारिसान सवा व देवा के नाम दर्ज हो जाने से व देवा की मृत्यु लाऔलाद हो जाने से देवा का वारिस भी सवा होने से सवा ने उक्त आराजीयात का अपना 1/4 हिस्सा केवा पिता पदा को विक्रय कर दिया तथा 1/2 हिस्सा जो केवल उर्फ केवा का सवा के नाम दर्ज चला आ रहा था इसलिए उसको भी केवल उर्फ केवा के नाम दर्ज कराने के लिए सवा पिता टोडा द्वारा उक्त आराजीयात के 3/4 हिस्से का बिकावनामा तारीख 09.05.1977 को केवल उर्फ केवा पिता पदा जी डांगी के नाम निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है तबसे उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर केवल उर्फ केवा का कब्जा खातेदारी हक से चला आया है तथा केवल उर्फ केवा पिता पदा की मृत्यु बाद केवल उर्फ केवा के चारो पुत्र क्रमशः दूदा, वाला, माना में निहित हुई है व चारो ही बराबर हक हिस्से से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। दूदा की मृत्यु हो गयी हैं। दूदा की मृत्यु बाद दूदा के हिस्से पर दूदा के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 5 से 8 काबिज चले आ रहे है इसी तरह दोला की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 से 5 है जो दोला के हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

7. यह कि इस तरह उक्त आराजीयात में वादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 3 से 5 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 6 से 8 का 1/4 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार वादीगण काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।
8. यह कि उक्त आराजीयात विक्रय करने के बाद प्रतिवादी का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं है न कब्जा हैं।
9. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 कोई तवज्जा नहीं दे रहा हैं।
10. यह कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नम्बर 1 की नियत में फितूर आ गया है व भूमि दलालों से मिलकर उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है व धमकी दे रहा है कि जमीन मेरे नाम दर्ज है अतः मैं बेच दूंगा तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो ऐसी अवस्था में वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:22 IST
Reason: SelfAttested

हो गया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त आराजीयात को अन्य को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे न खुर्द बुर्द करें न वादीगण को जबरन बेदखल करें। यदि प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगा जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

11. यह कि वादकारण तारीख 15.03.2018 को जबकि वादीगण ने उक्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 को कहा फिर भी उसने कोई तवज्जा नहीं दी व तारीख 20.03.2018 को जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त आराजीयात अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दी पैदा हुआ।

12. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराया जावे कि वादीगण को वाद में अंकित आराजीयात के वाद की कलम नम्बर 7 में अंकित हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें व तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वाद में अंकित आराजीयात से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे न अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

13. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

14. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री माना का पेश किया। वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल सम्वत् 2069—2072 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 10.02.75 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, विक्रय पत्र दिनांक 12.05.76 की फोटोप्रति प्रदर्श 3, विक्रय पत्र दिनांक 09.05.77 की फोटोप्रति प्रदर्श 4 पेश की।

15. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:22 IST
Reason: SelfAttested

सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया।

16. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 09.05.77 के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से वादग्रस्त आराजीयात का 3/4 हिस्सा पूर्व से ही वादीगण व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। शेष 1/4 हिस्सा सवा पिता देवा के नाम दर्ज होना जाहिर आया हैं। देवा लाऔलाद फौत हो चुका हैं। सवा द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण के पिता/दादा केवल उर्फ केवा को विक्रय किया। जिसका नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि सवा व देवा के नाम चली आ रही हैं। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा देवा व सवा के नाम दर्ज चली आ रही हैं। देवा लाऔलाद फौत होने से 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 सवा अकेला खातेदार हो गया था। वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता/दादा द्वारा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.77 से क्रय किया है जो दस्तोवज प्रदर्श 4 से स्पष्ट होता हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है। इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.77 के आधार पर 1/4 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762 किता 9 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 सवा व खातेदार देवा के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को (सवा व देवा का नाम हटाया जाकर) वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 5 को संयुक्त रूप [illegible] 1/4 हिस्सा, वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को बेदखल नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वाला पिता केवल उर्फ केवा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्री माना पिता केवल उर्फ केवा डांगी निासी घासा तह. मावली।
3. श्री भेरूलाल उर्फ भरत पिता दोला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
4. श्रीमती हीराबाई बेवा दोला डांगी निवासी घासा तह. मावली।
5. श्रीमती लीला पिता दोला पत्नी वरदीचन्द डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
6. श्री वरदीचन्द पिता दूदा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
7. श्रीमती तुलसीबाई बेवा दूदा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
8. श्रीमती मांगीबाई पिता दूदा पत्नी किशन डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री सवा पिता टोडा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 94/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00260

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762 किता 9 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 सवा व खातेदार देवा के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को (सवा व देवा का नाम हटाया जाकर) वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 6 से 8 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को बेदखल नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.02.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:22 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली